[भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग ।।, खंड (3), उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, दिनांक 16 मई, 2017

सं. 48/2017 - सीमाशुल्क (गै.टे.)

सा.का.नि. (अ), सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की धारा 5 की उपधारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना सार्वजनिक हित में आवश्यक है, एततद्वारा, भारत गणराज्य और चाईल गणराज्य के बीच अधिमान्य व्यापार करार के अंतर्गत माल के मूल निर्धारण नियमावली, 2007 (एतश्मिन पश्चात जिन्हें उक्त नियमावली से संदर्भित किया गया है), जिसे भारत सरकार वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 84/2007-सीमा शुल्क (गै.टे.), दिनांक 17 अगस्त, 2007, जिसे का.आ. 1462 (अ), दिनांक 17 अगस्त, 2007 के द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग-II, खण्ड-3, उपखण्ड (i) में प्रकाशित किया गया था, के द्वारा अधिसूचित किया गया है, में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, यथा :-

1. (1) इन नियमों को भारत गणराज्य और चाईल गणराज्य के बीच अधिमान्य व्यापार करार के अंतर्गत माल के मूल निर्धारण (संशोधन) नियमावली, 2017 कहा जाएगा।

(2) ये शासकीय राजपत्र में अपने प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. उक्त नियमावली में, नियम 6 में उप-नियम (5) के पश्चात निम्नलिखित उप-नियम को अंत:स्थापित किया जाएगा, यथा:-

"(6) उप-नियम (1) और उप-नियम (2) में निहित किन्हीं भी प्रावधानों के बावजूद किसी उत्पाद के बारे में यह माना जाएगा कि यह मूलत: उत्पादित है, यदि वह इस नियमावली के अनुबंध में दी गई शर्तों को पूरा करता है और विनिर्माता की अंतिम प्रक्रिया निर्यात करने वाले देश के भू-क्षेत्र में पूरी होती है।"।

3. उक्त नियमावली में, खण्ड-III में मूलत: उत्पादन का प्रमाण शीर्ष के अंतर्गत, नियम 15 और नियम 16 के स्थान पर निम्नलिखित नियमों को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा:-

"**नियम 15. मूलत: उत्पादन का प्रमाण-पत्र**

(1) मूलत: उत्पादन का प्रमाणपत्र ऐसा दस्तावेज होता है जिससे यह प्रमाणित होता है कि कोई वस्तु इस नियमावली में निर्धारित मूल आवश्यकताओं को पूरा करता है, ताकि वे इस करार के अंतर्गत परिकल्पित वरीयतापरक टैरिफ व्यवहार का लाभ प्राप्त कर सके और यह एक या एक से अधिक वस्तुओं के केवल एक बार आयात से संबंधित है।

(2) निर्यातकर्ता देश के मूलत: उत्पादित वस्तुओं के लिए वरीयतापरक टैरिफ संव्यवहार का दावा करने के उद्देश्य से मूलत: उत्पादन के प्रमाण-पत्र को आयातकर्ता पक्षकार के सीमा शुल्क प्राधिकारी के पास मूल रूप में प्रस्तुत किया जाना होगा।

(3) मूलत: उत्पादन के प्रमाणपत्र को इसकी वैधता अवधि के भीतर ही प्रस्तुत करना होगा।

(4) मूलत: उत्पादन के प्रमाणप-पत्र की वैधता अवधि के समाप्त के पश्चात आयातकर्ता पक्षकार के सीमा शुल्क प्राधिकारी को प्रस्तुत किए जाने वाले मूलत: उत्पादन के प्रमाण-पत्र को वरीयतापरक टैरिफ के दावे के लिए तभी स्वीकार किया जाएगा जब समय-सीमा के भीतर इसको न जमा किए जाने का कारण केाई ऐसी मजबूरी या वह वैध कारण हो जो कि निर्यातकर्ता के वश के बाहर हो।

बशर्ते कि ऐसे सभी मामलों में आयातकर्ता का सीमा शुल्क प्राधिकारी मूलत: उत्पादन के ऐसे प्रमाणपत्र को तभी स्वीकार करेगा जब ऐसा उत्पाद मूलत: उत्पादन के उक्त प्रमाणपत्र की वैधता अवधि के समाप्त होने के पहले आयातित किया गया हो।

(5) आयातकर्ता पक्षकार का सीमा शुल्क प्राधिकारी आयातित उत्पादों के मूल उत्पादन से संबंधित किसी सूचना या कागजात के लिए आयातकर्ता पक्षकार के भू-क्षेत्र में तत्समय लागू किसी कानून के अनुसार, अनुरोध कर सकता है।

(6) इस उप-नियम (5) में निहित किन्हीं भी प्रावधानों के बावजूद, यदि आयातकर्ता के पास ऐसी जानकारी नहीं होती है या उपलब्ध कराई जानकारी इनती पर्याप्त नहीं है कि इससे यह निर्धारित हो सके कि वस्तु का उत्पादन मूलत: निर्यातकर्ता पक्षकार के यहां हुआ है या नहीं, तो आयातकर्ता पक्षकार का सीमा शुल्क प्राधिकारी, उपर्युक्त नियमावली के खण्ड IV के अनुसार, जारीकर्ता प्राधिकारी से ऐसी सूचना के लिए अनुरोध कर सकता है।

(7) मूलत: उत्पादन के प्रमाणपत्र को जारी करने और इस पर नियंत्रण रखने की जिम्मेदारी प्रत्येक पक्षकार के सरकारी कार्यालय की होगी और मूलत: उत्पादन का यह प्रमाणपत्र उस प्राधिकारी के द्वारा सीधे या उप-नियम (8) में संदर्भित शिष्टमंडल के माध्यम

से जारी किया जाएगा और इसे अंग्रेजी भाषा में जारी किया जाना होगा।

(8) मूलत: उत्पादन का प्रमाणपत्र उस सरकारी कार्यालय द्वारा जारी किया जाएगा और उस पर उसी के हस्ताक्षर होंगे जिसे पक्षकारों द्वारा निर्देशित किया गया हो जो कि दूसरे सरकारी कार्यालय या प्रतिनिधि कार्पोरेट बॉडी को हस्ताक्षर करने और जारी करने अधिकार प्रदत्त कर सकती है।

(9) प्रत्येक पक्षकार दूसरे पक्षकार के सक्षम प्राधिकारी को मूलत: उत्पादन के प्रमाणपत्र को जारी करने वाले संबंधित प्राधिकारी के नाम और पता बताएगा और उनके नमूने हस्ताक्षर और सरकारी मुहर का नमूना भी उपलब्ध कराएगा।

(10) प्रत्येक पक्षकार निम्न को इन नियमावली के उद्देश्य से अपने सक्षम प्राधिकारियों का नाम, पदनाम और सम्पर्क ब्यौरा (पता, फोन नंबर, फैक्स नं., ई-मेल) को बताएगा-

(i) जिनको अन्य पक्षकार के जारीकर्ता प्राधिकारियों के मुहर के नमूने और हस्ताक्षर उपलब्ध कराया जाना है:-

भारत:

निदेशक (अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क),
केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड,
राजस्व विभाग,
वित्त मंत्रालय, भारत सरकार,
कमरा सं. 49, नॉर्थ ब्लॉक,
नई दिल्ली 110001, भारत
टेलीफोन : +91 11 2309 3380
फैक्स +91 11 2309 3760
e-mail: diricd-cbec@nic.in

चाईल :

प्रमाणन और सत्यापन विभाग,
अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक महानिदेशालय,
विदेश मंत्रालय,
टीसन्स 180
सेंटियागो

चाईल ;

टेलीफोन: +562 28275100

e-mail: certificacionorigen@direcon.gob.cl ;

(ii) पक्षकार द्वारा जारी किए गए मूलत: उत्पादन के प्रमाणपत्र के सत्यापन का कार्य जिनको सौंपा जाएगा:-

भारत:

निदेशक,
आर एम टी आर प्रभाग,
वाणिज्य मंत्रालय,
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय,
भारत सरकार,
कमरा सं. 224C, उद्योग भवन,
नई दिल्ली
टेलीफोन 011-23092577
Email: d1rmtr-doc@nic.in, d2rmtr-doc@nic.in

चाईल :

प्रमाणन और सत्यापन विभाग,
अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक महानिदेशालय,
विदेश मंत्रालय,
टीसन्स 180,
सैंटियागो
टेलीफोन: +562 28275100
e-mail: certificacionorigen@direcon.gob.cl ;

(iii) जिनसे दूसरे पक्षकार के जारीकर्ता प्राधिकारियों के मुहर और हस्ताक्षर के नमूने प्राप्त किए जाने हैं:-

भारत :

निदेशक,
आर एम टी आर प्रभाग,
वाणिज्य मंत्रालय,

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय,
भारत सरकार,
कमरा सं. 224C, उद्योग भवन,
नई दिल्ली
टेलीफोन 011-23092577
Email: d1rmtr-doc@nic.in, d2rmtr-doc@nic.in

चाईल :

प्रमाणन और सत्यापन विभाग,
अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक महानिदेशालय,
विदेश मंत्रालय,
टीसन्स 180, सेंटियागो
टेलीफोन: +562 28275100
e-mail: certificacionorigen@direcon.gob.cl ;

(iv) पक्षकार द्वारा जारी किए गए मूलतः उत्पादन के प्रमाणपत्र के सत्यापन का कार्य जिनसे प्राप्त किया जाएगा:-

भारत:

निदेशक (अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क),
केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड,
राजस्व विभाग,
वित्त मंत्रालय, भारत सरकार,
कमरा सं. 49, नॉर्थ ब्लॉक,
नई दिल्ली 110001,
टेलीफोन: +91 11 2309 3380
फैक्स +91 11 2309 3760
e-mail: diricd-cbec@nic.in

चाईल :

मूलतः उत्पाद उप-प्रभाग
सीमा शुल्क तकनीक उप-निदेशालय
राष्ट्रीय सीमा शुल्क सर्विस

सोटोमेयर 60, प्रथम तल, वालपाराइसो, चाईल
टेलीफोन: (56-32) 2134543 - (56-32) 2134528.

(11) सक्षम प्राधिकारियों में या नाम, पदनाम, पता, नमूना हस्ताक्षर और सरकारी मुहर में कोई परिवर्तन होता है तो उसकी जानकारी अन्य पक्षकार को तत्काल दी जाएगी।

(12) मूलत: उत्पादन के प्रमाणपत्र को इस नियमावली के **परिशिष्ट** में दी गई फारमेट में तथा नियम 16 के उप-नियम (1) में सदंर्भित वस्तु के अंतिम उत्पादक द्वारा दी गई शपथपूर्ण घोषणा के बाद और संबंधित वाणिज्यिक इनवाइस के साथ जारी किया जाएगा।

(13) सभी मामलों में वाणिज्यिक इनवाइस की सं. और तारीख को मूलत: उत्पादन के प्रमाणपत्र में इस निमित्त दिए गए बॉक्स में निर्देशित किया जाएगा।

(14) जहांकि, व्यापार किए जाने वाले वस्तुओं की इनवाइस गैर-पक्षकार ऑपरेटर द्वारा की गई हो वहां मूल पक्षकार का उत्पादक या निर्यातक संबंधित मूलत: उत्पादन के प्रमाणपत्र में दिए गए ''पर्यवेक्षक'' शीर्षक में यह जानकारी देगा कि घोषणा से संबंधित वस्तु की इनवाइस गैर-पक्षकार ऑपरेटर द्वारा की गई है और वह इस ऑपरेटर द्वारा जारी किए गए वाणिज्यिक इनवाइस में निम्नलिखित आंकड़े देगा, यथा:-

नाम, पता देश, सं. और तारीख:

बशर्ते कि जहां कहीं भी लागू हो मूल्य संवर्धन जो कि निर्यात पक्षकार के भू-क्षेत्र में किया गया हो, को स्थानीय मूल्य संवर्धन की गणना में शामिल किया जाएगा।

नियम 16. मूलत: उत्पादन के प्रमाणपत्र का जारी किया जाना

(1) मूलत: उत्पादन के प्रमाणपत्र को जारी किए जाने के लिए, ऐसी वस्तुओं का अंतिम उत्पादक या निर्यातकर्ता संबंधित वाणिज्यिक इनवाइस और अनुरोध प्रस्तुत करेगा जिसमें अंतिम उत्पादक द्वारा यह शपथपूर्ण घोषणा की गई हो कि उक्त् वस्तु में इस नियमावली में दिए गए मूलत: मानदण्डों को पूरा किया गया है और इसके साथ ही इसके समर्थन में आवश्यक दस्तावेज भी संलग्न किए जाएंगे और उक्त शपथपूर्ण घोषणा में निम्नलिखित बातें दी गई होंगी :-

(a) व्यक्ति का नाम या कम्पनी का नाम ;

(b) पता ;

(c) उस माल का विवरण जिसका कि निर्यात किया जाना है;

(d) निर्यात किए जाने वाले वस्तु का एफओबी मूल्य; और

(e) निर्यात किए जाने वाले वस्तु से संबंधित जानकारी जिसमें निम्नलिखित आतें अवश्य हों:

(i) वे वस्तुएं, घटक और या उनके कलपुर्जे, जो कि निर्यातकर्ता पक्षकार के यहां मूलतः उत्पादित हों और जहां कहीं भी संभव है सीमा शुल्क टैरिफ का शीर्ष,

(ii) वस्तु, घटक और/ या उसके कलपुर्जे जोकि अन्य पक्षकार के यहां मूलत: उत्पादित हों और जिसमें निम्नलिखित बातें दर्शाई गई हो:

- मूलत: उत्पादन का स्थान,
- टैरिफ वर्गीकरण (कम से कम 6 अंकीय स्तर),
- सीआईएफ मूल्य, अमेरिकी डॉलर में और
- अंतिम उत्पाद के कुल मूल्य का प्रतिशत

(iii) गैर-मूलत: उत्पादित वस्तुएं, घटक और/ कलपुर्जे जिसमें निम्नलिखित बातें दर्शाई गई हो:

- निर्यात करने वाला देश,
- टैरिफ वर्गीकरण (कम से कम 6 अंकीय स्तर),
- सीआईएफ मूल्य, अमेरिकी डॉलर में और

- अंतिम उत्पाद के कुल मूल्य का प्रतिशत; और

(iv) विनिर्माण प्रक्रिया का विवरण।

(2) शपथपूर्ण घोषणा, जिसमें यह प्रमाणित किया गया हो कि इन नियमों में निर्धारित मूल शर्तों को पूरा किया है, में दिया गया वस्तुओं का विवरण, संबंधित टैरिफ वर्गीकरण के अनुरूप होना चाहिए और वह उसी प्रकार होना चाहिए जैसा कि वाणिज्यिक बीजक में और मूलत: उत्पादन के प्रमाणपत्र में वस्तुओं का विवरण दिया गया हो।

(3) यदि इन वस्तुओं का नियमित रूप से निर्यात किया जाता है और साथ ही इसकी विनिर्माण प्रक्रिया और उसकी सामग्री में कोई परिवर्तन नहीं किया गया हो, उत्पादक द्वारा दी गई शपथपूर्ण घोषणा मूलत: उत्पादन के प्रमाणपत्र के जारी किए जाने की तारीख से एक वर्ष की अवधि तक वैध होगी।

(4) मूलत: उत्पादन का प्रमाणपत्र अनुरोध पत्र के दिए जाने के बाद से 5 कार्यदिवस के भीतर अवश्यक जारी कर दिया जाना चाहिए और यह इसे जारी किए जाने की तारीख से 1 वर्ष की अवधि तक वैध रहेगा।

(5) मूलत: उत्पादन का प्रमाणपत्र खेप से संबंधित वाणिज्यिक इनवाइस के जारी होने की तारीख के पहले जारी नहीं किया जाएगा, लेकिन इसे उसी तारीख को या अगले 60 दिनों के भीतर जारी किया जा सकता है।

(6) मूलत: उत्पादन के प्रमाणपत्र के चोरी हो जाने, खो जाने या नष्ट हो जाने की स्थिति में निर्यातकर्ता इसकी प्रमाणित सत्य प्रतिलिपि के लिए जारीकर्ता उस प्राधिकारी के पास लिखित रूप में आवेदन कर सकता है, जिसे वह अपने कब्जे में रखे गए निर्यात दस्तावेज के आधार पर बनाएगा और मूल प्रमाणपत्र के बाक्स 4 में "सत्यापित प्रतिलिपि" (मूल प्रमाणपत्र के बदले में) यह लिखा जाएगा और इस प्रति पर मूलत: उत्पादन के मूल प्रमाणपत्र की तारीख लिखी जाएगी।

(7) उत्पादों के आयात के लिए औपचारिकताओं को पूरा करने में यदि मूलत: उत्पादन के प्रमाणपत्र और आयातकर्ता पक्षकार के सीमा शुल्क प्राधिकारी के द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले कागजातों में छोटी-मोटी विसंगति पायी जाती है तो मात्र इस आधार पर मूलत: उत्पादन का प्रमाणपत्र अवैध घोषित नहीं होगा। यदि यह आयात किए जाने वाले उत्पाद से मेल खाता है तो।

(8) अनुरोधकर्ता पक्षकार और प्रमाणकर्ता कार्यालय या प्राधिकृत संस्थान मूलत: उत्पादन के प्रमाणपत्र को सिद्ध करने वाले कागजातों को इसके जारी होने के कम से कम 5 वर्ष तक अपने पास संभाल कर रखेगा और जारीकर्ता प्राधिकारी अपने द्वारा जारी करने वाले प्रमाणपत्रों में इसकी क्रमिक सं. डालेगा।

(9) जारीकर्ता प्राधिकारी जारी सभी मूलत: उत्पादन के प्रमाणपत्र का स्थायी तौर पर रिकॉर्ड रखेगा जिसमें कम से कम प्रमाणपत्र की सं. अनुरोधकर्ता निकाय का नाम और इसे जारी किए जाने की तारीख का उल्लेख अवश्य होना चाहिए।"।

4. उक्त नियमावली में, खण्ड 4 में मूलत: उत्पादन के प्रमाणपत्र के नियंत्रण और सत्यापन के शीर्ष के अंतर्गत नियम 17 से नियम 36 तक निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा:-

"**नियम 17**

1. इन नियमों के अनुसार मूलत: उत्पादन के प्रमाणपत्र को प्रस्तुत किए जाने के बावजूद यथोचित रूप से संदेहास्पद मामलों में आयातकर्ता पक्षकार के सक्षम प्राधिकारी, मूलत: उत्पादन के प्रमाणपत्र की प्रमाणिकता तथा इसमें निहित तथ्यों की सच्चाई का पता लगाने के लिए नियम 18 में दी गई प्रक्रिया के अनुसार सत्यापन की कार्रवाई कर सकता है और इससे संबंधित राष्ट्रीय विधान जिसमें सीमा शुल्क कानून भी आता है के प्रयोग में कोई अवरोध नहीं आएगा।

2. आयातकर्ता पक्षकार के सक्षम प्राधिकारी निर्यातकर्ता पक्षकार के जारीकर्ता प्राधिकारी को स्पष्ट तथा ठोस रूप में इस बात के कारण बताएंगे कि उनको मूलत: उत्पादन के प्रमाणपत्र की प्रमाणिकता और इसकी सच्चाई के बारे में संदेह क्यों है।

नियम 18

सत्यापन की प्रक्रिया के दौरान आयातकर्ता पक्षकार के सीमा शुल्क प्राधिकारी निर्यातकर्ता पक्षकार के सक्षम प्राधिकारी को निम्नलिखित प्रक्रिया के अनुसार मूल के सत्यापन के लिए लिखित रूप में अनुरोध कर सकता है, यथा :-

(क) किसी जानकारी के लिए अनुरोध या ऐसे दस्तावेज की प्रति के लिए अनुरोध जो कि उस जारीकर्ता प्राधिकारी के कब्जे में हो जिसने कि सत्यापन के लिए विचाराधीन मूलत: उत्पादन के प्रमाणपत्र को जारी किया है और इसे मूलत: उत्पादन के उक्त प्रमाणपत्र की प्रमाणिकता और उसमें निहित किसी जानकारी की सच्चाई के सत्यापन

के लिए जरूरी समझा जा सकता है और ऐसे अनुरोध में सत्यापन के लिए विचाराधीन मूलत: उत्पादन के प्रमाणपत्र को जारी किए जाने की तारीख और उसकी सं. को दर्शाना जरूरी होगा;

(ख) स्थानीय अथवा क्षेत्रीय वर्धित मूल्य की विषय वस्तु की सत्यापन के आशय से निर्माता अथवा निर्यातक, सत्यापन की जारी वस्तुओं के उत्पादन में प्रयोग की जाने वाली गैर-मूल देश की वस्तुओं के सीआईएफ मूल्य को स्थापित करने के लिए आवश्यक सूचना अथवा दस्तावेजों को सुलभ करवाएगा;

(ग) कतिपय उत्पादन प्रक्रियाओं की विशेषताओं के सत्यापन के उद्देश्य से निर्यातक अथवा उत्पादक ऐसी सूचना अथवा दस्तावेज सुलभ करवाएगा जो ऐसे प्रक्रियाओं की पुष्टि की अनुमति देते हैं;

(घ) आयातक पार्टी का सीम शुल्क प्राधिकारी, निर्यातक पार्टी के जारीकर्ता प्राधिकारी को एक प्रश्नमाला भिजवाएगा जिसे निर्यातक अथवा उत्पादक को भिजवा दिया जाएगा जिसमें सत्यापन किए जाने वाले मूल देश के प्रमाण-पत्र को इंगित किया गया होगा;

(ङ) जब आयातक पार्टी का सीमा शुल्क प्राधिकारी खंड (क) से (घ) के अनुक्रम में मूल देश के सत्यापन के परिणामों से संतुष्ट नहीं हो तो यह निर्यातक पार्टी के जारीकर्ता प्राधिकारी को एक लिखित अनुरोध भिजवाएगा कि वह, उत्पादन प्रक्रिया की जांच-पड़ताल किए जाने तथा सत्यापित किए जाने वाले उत्पादों के निर्माण में प्रयोग किए जाने वाले उपस्कर और टूल्स की जांच-पड़ताल के मद्देनजर उत्पादक के परिसर में दौरा किए जाने को सुगम बनाए;

(च) निर्यातक पार्टी का जारीकर्ता प्राधिकारी, आयातक पार्टी के सीमा शुल्क प्राधिकारी को दौरा किए जाने की तारीख से कम से कम 15 दिन पूर्व अपेक्षित दस्तावेज, विवरण और सामग्री की लागत शीट सुलभ करवाएगा;

(छ) निर्यातक पार्टी का जारीकर्ता प्राधिकारी, आयातक पार्टी के प्राधिकारी का उनके उपर्युक्त संदर्भित दौरे में साथ देगा जिसमें विशेषज्ञों की भागीदारिता भी शामिल हो सकती है, जोकि ऑब्जर्बर के रूप में कार्य करेंगे:

बशर्ते कि प्रत्येक पार्टी विशेषज्ञ पदनामित करेगी जोकि निष्पक्ष होंगे और उनका सत्यापन में किसी भी प्रकार का कोई सरोकर नहीं होगा:

बशर्ते यह भी कि प्रत्येक पार्टी ऐसे विशेषज्ञों की प्रतिभागिता से इनकार कर सकती है जब ऐसे विशेषज्ञ, सत्यापन से जुड़ी कम्पनियों के हितों का प्रतिनिधित्व करते हैं;

(ज) एक बार दौरा पूरा हो जाने पर प्रतिभागी इसका कार्यवृत तैयार करेंगे जिसमें यह दर्शाया जाएगा कि यह प्रक्रिया इन नियमों में निर्धारित शर्तों के अनुसार की गई थी तथा इस कार्यवृत में निम्नलिखित सूचना के अलावा निम्नलिखित विहित है, अर्थात-

(i) दौरा किए जाने की तारीख और स्थान;

(ii) मूल देश के प्रमाण-पत्र की पहचान जिसके कारण सत्यापन करवाना पड़ा;

(iii) सत्यापन की जाने वाली वस्तुओं की पहचान;

(iv) प्रतिभागियों की पहचान जिसमें ऐसे संगठनों और संस्थाओं को दर्शाया गया है जिससे वे संबंधित हैं; और

(v) दौरा रिपोर्ट;

(झ) निर्यातक पार्टी अधिकतम 30 दिन की अवधि के लिए सत्यापन दौरे को मुल्तवी करने का अनुरोध कर सकती है।

(ञ) सत्यापन किए जाने वाले मामले के संबंध में पार्टियां आपसी सहमति के अनुसार अन्य कृत्य कर सकती हैं।

नियम 19

निर्यातक पार्टी का जारीकर्ता प्राधिकारी नियम 18 के अनुसार अनुरोध की गई सूचना और दस्तावेज निम्नानुसार सुलभ करवाएगा-

(i) अनुरोध के प्राप्त होने की तारीख के तीस दिन के भीतर, यदि अनुरोध, लाभकर्ता देश के जारीकर्ता प्राधिकारी की मोहर और हस्ताक्षरों की प्रमाणिकता से संबंधित है;

(ii) अनुरोध के प्राप्त होने की तारीख के तीस दिन के भीतर, यदि अनुरोध, निर्यातक अथवा उत्पादक द्वारा किए गए आवेदन की प्रति प्राप्त करने के लिए हैं;

(iii) अनुरोध के प्राप्त होने की तारीख के साठ दिन के भीतर, यदि अनुरोध, उत्पाद के मूल देश के संबंध में सूचना की प्रमाणिकता पर संदेह के आधार के कारण है और इस प्रकार के अवधि को, निर्यातकर्ता पार्टी के अनुरोध पर आपसी विचार-विमर्श से तीस दिन तक बढ़ाया जा सकता है।

नियम 20

(1) आयातक पार्टी का सीमाशुल्क प्राधिकारी उसी निर्यातक अथवा उत्पादक से वस्तुओं अथवा एक समान वस्तुओं के आयात संबंधी आपरेशन को निलंबित नहीं करेगा।

(2) आयताक पार्टी का सीमाशुल्क प्राधिकारी वरीयता टैरिफ बर्ताव से इनकार कर सकता है और अपनी किसी भी मॉडैलिटी में गारंटी का अनुरोध कर सकता है अथवा आयातक पार्टी के कानूनों और प्रक्रियाओं के अनुसार और उनके अद्यधीन आयातक आपरेशनों के पूरा किए जाने की पूर्व शर्त के रूप में वित्तीय सरोकारों को बनाए रखने के आशय से कोई आवश्यक कार्रवाई कर सकता है:

बशर्ते कि, जब कभी गारंटी अपेक्षित होती है तो इसकी धनराशि, आयातक देश के विधान के अनुसार तीसरे विश्व के देशों के उत्पाद के आयात से संबंधित सीमाशुल्क ड्यूटी पर लागू मूल्य से अधिक नहीं होगी।

नियम 21

इन नियमों की शर्तों के अंतर्गत प्राप्त सूचना इसके कानून के अनुसार गोपनीय स्वरूप की होगी और प्रत्येक पार्टी ऐसी सूचना को प्रकटीकरण से बचाएगी जो सूचना प्रदान करने वाले व्यक्तियों की प्रतियोगी स्थिति को खतरे में डालती है और इसका इस आशय से प्रयोग किया जाएगा कि इसका आयातक पार्टी के सक्षम प्राधिकारियों द्वारा सत्यापन किए जाने के संबंध में तथा सत्यापन और विधिक कार्यवाहियों के दौरान मामले को स्पष्ट किया जा सके।

नियम 22

आयातक पार्टी का सीमाशुल्क प्राधिकारी, नियम 18 में स्थापित प्रक्रियाओं के अनुसार नियम 17 के अंतर्गत अभिकल्पित सत्यापन शुरू किए जाने पर आयातक और निर्यातक पार्टी के सक्षम प्राधिकारी को तुरंत अधिसूचित करेगा।

नियम 23

आयातक पार्टी का सक्षम प्राधिकारी नियम 18 के अनुसार अनुरोध की गई सभी सूचना के प्राप्त होने की तारीख से साठ दिन के भीतर तथा अधिकतम नब्बे दिन तक वरीयतापूर्वक सत्यापन को समाप्त करने का कार्य करेगा :

बशर्ते कि जहां कहीं नए अन्वेषण कृत्यों अथवा और अधिक सूचना के प्रस्तुत किए जाने की आवश्यकता है, आयातक पार्टी का सक्षम प्राधिकारी निर्यातक पार्टी के सक्षम प्राधिकारी को तथ्यों के बारे में संसूचित करेगा तथा ऐसे नए कृत्यों के निष्पादन की अवधि अथवा अतिरिक्त सूचना प्रदान किए जाने की अवधि, नियम 18 के अनुसार ऐसी सभी अतिरिक्त सूचना प्राप्त होने की तारीख से साठ दिन तक होगी।

नियम 24

इन नियमों में किए गए प्रावधान को छोड़कर, आयातक पार्टी का सक्षम प्राधिकारी इस बात पर विचार कर सकता है कि सत्यापन की जाने वाली वस्तुएं मूल अपेक्षाओं को पूरा नहीं करती और वह नियम 17 के अनुसार सत्यापन किए जाने वाली वस्ताुओं के मूल देश के प्रमाण-पत्र में उल्लिखित वस्तुओं को वरीयतापूर्वक टैरिफ बर्ताव दिए जाने से इनकार कर सकता है, जब,-

(क) ये वस्तुएं इन नियमों की अपेक्षाएं पूरा नहीं करती;

(ख) वस्तुओं का निर्यातक, उत्पादक अथवा आयातक ऐसी अपेक्षाओं की अनुपालना करने में असमर्थ होता है जो इन नियमों के अंतर्गत लागू हैं;

(ग) वस्ताुओं का निर्यातक अथवा उत्पादक संगत रिकार्डों अथवा दस्तावेजों को प्रदान करने से इनकार करता है;

(घ) निर्यातक पार्टी का सक्षम प्राधिकारी, निर्धारित अवधि के भीतर सत्यापन के लिखित अनुरोध के अनुक्रम में सूचना प्रदान करने में असमर्थ रहता है;

(ङ) सत्यापन दौरे के अनुरोध के संबंध में सहमति, निर्यातक पार्टी अथवा निर्यातक अथवा उत्पादक के सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त नहीं होती है; अथवा

(च) निर्यातक पार्टी अथवा निर्यातक अथवा उत्पादक के जारीकर्ता प्राधिकारी द्वारा प्रदान की गई सूचना यह सिद्ध करने के लिए पर्याप्त नहीं है कि वस्तुएं, निर्यातक पार्टी की मूल देश की वस्तुओं के रूप में अर्हक हैं।

नियम 25

(1) वे मामले जिनमें मूल देश के प्रमाण-पत्र को आयातक पार्टी के सक्षम प्राधिकारी द्वारा अस्वीकार कर दिया जाता है, तो मूल देश का मूल प्रमाण-पत्र, तर्क युक्ति अवधि जोकि ऐसे अस्वीकार किए जाने की तारीख के 2 माह तक ही होगी, के भीतर निर्यातक पार्टी के सीमाशुल्क प्राधिकारी को वापस कर दिया जाएगा और आयातक पार्टी का सीमाशुल्क प्राधिकारी, आयातक और निर्यातक पार्टी के सक्षम प्राधिकारी को वरीयतापूर्वक टैरिफ बर्ताव नहीं दिए जाने के आधार संसूचित करेगा।

(2) आयातक पार्टी का सीमाशुल्क प्राधिकारी घरेलू विधान के अनुसार निर्यातक पार्टी के सक्षम प्राधिकारी को सत्यापन फाइलें सुलभ करवाएगा।

नियम 26

अन्वेषण प्रक्रिया के दौरान, सत्यापन की जाने वाली कंपिनियों द्वारा लगाई गई निर्माण शर्तों में किए गए कभी-कभार के संशोधनों को भावी शिपमेंट के लिए ध्यान में रखा जाएगा।

नियम 27

एक बार मूल देश की अर्हता के, आयातक के पक्ष में निर्धारण कर दिए जाने, का सत्यापन हो जाने के पश्चात आयातक को तीस दिन के भीतर, नियम 20 में अनुरोध की गई गारंटियों से मुक्त कर दिया जाएगा तथा उसे पार्टियों के घरेलू कानून के अनुसार अधिकेतर अदा की गई ड्यूटियां तत्काल रूप से वापस कर दी जाएंगी।

नियम 28

(1) मूल देश के प्रमाण-पत्र में विहित वस्तुओं के मूल मानदंडों की गैर-अर्हता के स्थापित होने के एक बार सत्यापन हो जाने के पश्चात, आयातक पार्टी के देश में घरेलू विधान के अनुसार ड्यूटी उद्ग्रहित की जाएगी।

(2) ऐसे मामले में आयातक पार्टी का सक्षम प्राधिकारी उसी उत्पादक से एक समान वस्तुओं से संबंधित नए आयात को वरीयतापूर्वक टैरिफ बर्ताव दिए जाने से तब तक इनकार कर सकता है जब तक यह स्पष्ट रूप से प्रदर्शित नहीं हो जाता कि निर्माण की शर्तें इस प्रकार से संशोधित की गई थी ताकि इन नियमों के मूल देश के नियमों की मूल अपेक्षाओं को पूरा किया जा सके।

(3) निर्यातक पार्टी के सक्षम प्राधिकारी द्वारा यह प्रदर्शित करते हुए कि निर्माण संबंधी शर्तें संशोधित की गई थी और वस्तुएं मूल देश के मानदंडों को पूरा करती हैं, सूचना भिजवा दिए जाने पर, आयातक पार्टी के सक्षम प्राधिकारी के पास नियम 18 के खंड (ड़) के अनुसार, यदि आवश्यक हो, इस प्रकार के निर्णय के संबंध में संसूचित करने, अथवा निर्यातक के परिसर में सत्यापन दौरा का अनुरोध करने के लिए उक्त सूचना प्राप्त करने की तारीख से 45 दिन का समय होगा।

(4) यदि आयातक और निर्यातक पार्टियों के सक्षम प्राधिकारी, निर्माण शर्तों पर किए गए संशोधन को दर्शाने में असमर्थ रहते हैं तो वे इस करार के आर्टिकल XVIII के अनुसार स्थापित विवाद निवारण प्रक्रिया का प्रयोग कर सकते हैं।

नियम 29

(1) एक पार्टी अन्य पार्टी को, अन्य पार्टी से दूसरी पार्टी द्वारा आयात की गई वस्तुओं के मूल देश के अन्वेषण कराने के संबंध में अनुरोध कर सकता है, जब कभी इस बात का संदेह करने के पर्याप्त कारण हो कि उत्पादों की वरीयतापूर्वक बर्ताव के संबंध में उन आयातित वस्तुओं के साथ प्रतिस्पर्धा है जो इन नियमों के अपेक्षाएं पूरा नहीं करते।

(2) ऐसे आशय के लिए सत्यापन का अनुरोध करने वाली पार्टी का सक्षम प्राधिकारी, आयातक पार्टी के प्राधिकारी को संगत सूचना के संबंध में ऐसे अनुरोध की तारीख के साठ दिन के भीतर अवगत करवाएगा और ऐसी सूचना प्राप्त होने पर आयातक पार्टी, पार्टी जिसने इस सत्यापन को आरंभ करने का अनुरोध किया था, को नोटिस देते हुए इन नियमों में स्थापित कार्यवाहियों को शुरू कर सकती है।

नियम 30

इन नियमों में दर्शाई गई सत्यापन की कार्यवाहियों और मूल देश के नियंत्रण को, घरेलू उपभोग के लिए पहले से ही निकासी की गई वस्तुओं पर भी लागू किया जा सकता है।

नियम 31

यदि उपाय अननुरूप है तो नियम 25 अथवा नियम 28 के उपनियम (3) में किए गए प्रावधान के अनुसार इस प्रकार का अनुरोध प्राप्त होने की तारीख के साठ दिन के भीतर निर्यातक पार्टी, इस करार के आर्टिकल XVII में संदर्भित समिति को यह कहते हुए परामर्श का अनुरोध कर सकती है कि तकनीकी और विधिक कारण जो यह दर्शाएंगे कि आयातक पार्टी के सक्षम प्राधिकारी द्वारा अंगीकार किए गए उपाय इन नियमों के अनुरूप नहीं हैं; और / अथवा यह स्थापित करने के उद्देश्य से तकनीकी सलाह का अनुरोध कर सकती है कि क्या सत्यापन की जाने वाली वस्तुएं इन नियमों की अपेक्षाओं को पूरा करती है।

नियम 32

इन नियमों में निर्धारित समयावधि की गणना, तथ्यों अथवा घटना जिनसे वे संदर्भित हैं, वाले दिन से अगले दिन के अनुसार लगातार दिन आधार पर की जाएगी।

नियम 33

प्रत्येक पार्टी ऐसे उपाय अंगीकार करेगी अथवा उनका रख-रखाव करेगी जो उसके सीमाशुल्क कानूनों और विनियमों जिसमें टैरिफ वर्गीकरण, सीमाशुल्क मूल्यांकन मूल देश के नियमों और इस करार के अंतर्गत वरीयता टैरिफ बर्ताव की हकदारी सहित, के उल्लंघन के संबंध में सिविल, प्रशासनिक और जहां कहीं समुचित हो दंडात्मक मंजूरी का प्रावधान करेंगे ।"।

5 उक्त नियमों में नियम 33 के पश्चात, निम्नलिखित अनुबंध अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात:-

"अनुबंध

[नियम 6 का उपनियम (6) देखें]

उत्पाद विनिर्दिष्ट नियमावली

भाग 1

सामान्य टिप्पणी

इस अनुबंध में निर्धारित उत्पाद विनिर्दिष्ट नियमों के प्रयोजन से,-

(क) उत्पाद विनिर्दिष्ट नियम अथवा नियमों का विनिर्दिष्ट समूह जोकि किसी विशेष अध्याय, शीर्ष अथवा उपशीर्ष पर लागू होता है को अध्याय, शीर्ष अथवा उपशीर्ष के साथ ही तत्काल रूप से निर्धारित किया जाता है।

(ख) जहां कहीं नियमों के विनिर्दिष्ट समूह में, एक से अधिक नियम को चुनिंदा रूप से लागू किए जाने का प्रावधान है वहां पर नियमों की व्याख्या का क्रम लागू किए जाने की प्राथमिकता नहीं दर्शाता;

(ग) निम्नलिखित परिभाषाएं लागू होती हैं:

(i) "**अध्याय**" शब्द से अभिप्राय है सौहार्दिकृत प्रणाली का अध्याय;

(ii) "**शीर्ष**" शब्द से अभिप्राय है सौहार्दिकृत प्रणाली के अंतर्गत टैरिफ वर्गीकरण में प्रथम चार अंक; और

(iii) "**उपशीर्ष**" शब्द से अभिप्राय है सौहार्दिकृत प्रणाली के अंतर्गत टैरिफ वर्गीकरण में प्रथम छह अंक; और

(घ) यह अनुबंध 1 जनवरी, 2017 को यथासंशोधित सौहार्दिकृत प्रणाली पर आधारित है।

भाग -2

उत्पाद विशिष्ट नियम

सं.	**एचएस कोड**	**उत्पाद विशिष्ट नियम**
1	अध्याय 1	किसी अन्य अध्याय से अध्याय 1 में परिवर्तन
2	अध्याय 2	किसी अन्य अध्याय से अध्याय 2 में परिवर्तन
3	अध्याय 3	किसी अन्य अध्याय से अध्याय 3 में परिवर्तन
4	अध्याय 4	किसी अन्य अध्याय से अध्याय 4 में परिवर्तन
5	अध्याय 5	किसी अन्य अध्याय से अध्याय 5 में परिवर्तन
6	अध्याय 6	किसी अन्य अध्याय से अध्याय 6 में परिवर्तन
7	अध्याय 7	किसी अन्य अध्याय से अध्याय 7 में परिवर्तन
8	अध्याय 8	किसी अन्य अध्याय से अध्याय 8 में परिवर्तन
9	अध्याय 9	किसी अन्य अध्याय से अध्याय 9 में परिवर्तन
10	अध्याय 10	किसी अन्य अध्याय से अध्याय 10 में परिवर्तन
11	अध्याय 11	किसी अन्य अध्याय से अध्याय 11 में परिवर्तन
12	अध्याय 12	'तिलहन और ओलियोजिनस फलों; विविध प्रकार के अनाजों, बीजों और फल; औद्योगिक या औषधिक पौधों; भूसा और चारा जिनसेंग रूट्स को छोड़कर और अन्य प्रसीतित और हीमित बीज' से संबंधित किसी अन्य अध्याय से अध्याय 12 में परिवर्तन
13	अध्याय 13	किसी अन्य अध्याय से अध्याय 13 में परिवर्तन
14	अध्याय 14	किसी अन्य अध्याय से अध्याय 14 में परिवर्तन

सं.	एचएस कोड	उत्पाद विशिष्ट नियम
15	अध्याय 15	किसी अन्य अध्याय से अध्याय 15 में परिवर्तन
16	अध्याय 16	किसी अन्य अध्याय से अध्याय 16 में परिवर्तन
17	1806.31 - 1806.32	किसी अन्य शीर्षक से 1806.31 से 1806.32 उप-शीर्षकों में परिवर्तन
18	1806.90	किसी भी अन्य शीर्षक से उप-शीर्षक 1806.90 में परिवर्तन
19	1901.10	किसी भी अन्य शीर्षक से उप-शीर्षक 1901.10 में परिवर्तन
20	1901.90	किसी भी अन्य शीर्षक से उप-शीर्षक 1901.90 में परिवर्तन
21	1902.19	किसी भी अन्य शीर्षक से उप-शीर्षक 1902.19 में परिवर्तन
22	1904.10	किसी भी अन्य शीर्षक से उप-शीर्षक 1904.10 में परिवर्तन
23	1904.90	किसी भी अन्य शीर्षक से उप-शीर्षक 1904.90 में परिवर्तन
24	1905.31 - 1905.32	किसी अन्य शीर्षक से 1905.31 के माध्यम से उप-शीर्षक 1905.32 में परिवर्तन
25	1905.90	किसी भी अन्य शीर्षक से उप-शीर्षक 1905.90 में परिवर्तन
26	2001.10	किसी भी अन्य शीर्षक से उप-शीर्षक 2001.10 में परिवर्तन
27	2001.90	किसी भी अन्य शीर्षक से उप-शीर्षक 2001.90 में परिवर्तन
28	2002.90	किसी भी अन्य शीर्षक से उप-शीर्षक 2002.90 में परिवर्तन
29	2003.10	किसी भी अन्य शीर्षक से उप-शीर्षक 2003.10 में परिवर्तन
30	2004.10	किसी भी अन्य शीर्षक से उप-शीर्षक 2004.10 में परिवर्तन
31	2005.70	किसी भी अन्य शीर्षक से उप-शीर्षक 2005.70 में परिवर्तन
32	2005.99	किसी भी अन्य शीर्षक से उप-शीर्षक 2005.99 में परिवर्तन
33	2007.99	किसी भी अन्य शीर्षक से उप-शीर्षक 2007.99 में परिवर्तन
34	2009.61	किसी भी अन्य शीर्षक से उप-शीर्षक 2009.61 में परिवर्तन
35	2009.69	किसी भी अन्य शीर्षक से उप-शीर्षक 2009.69 में परिवर्तन
36	2009.79	किसी भी अन्य शीर्षक से उप-शीर्षक 2009.79 में परिवर्तन
37	2009.80	किसी भी अन्य शीर्षक से उप-शीर्षक 2009.80 में परिवर्तन
38	2102.10	किसी भी अन्य शीर्षक से उप-शीर्षक 2102.10 में परिवर्तन या सभी गैर-उत्पत्ति वाली सामग्रियों या उपयोग की गई अनिर्धारित उत्पत्ति के कुल मूल्य में उत्पाद का एफओबी मान 60 प्रतिशत से अधिक नहीं है ।
39	2105.00	किसी अन्य शीर्षक से उप-शीर्षक 2105.00 में परिवर्तन या सभी गैर-उत्पत्ति वाली सामग्रियों या उपयोग किए गए अनिर्धारित मूल के कुल मूल्य से, उत्पाद के एफओबी मूल्य 60 प्रतिशत से अधिक नहीं हो

सं.	एचएस कोड	उत्पाद विशिष्ट नियम
		सकता है ।
40	2202.10	किसी भी अन्य शीर्षक से उप-शीर्षक 2202.10 में परिवर्तन
41	2202.90	किसी भी अन्य शीर्षक से उप-शीर्षक 2202.90 में परिवर्तन
42	2203.00	किसी भी अन्य शीर्षक से उप-शीर्षक 2203. में परिवर्तन
43	2204.10	किसी भी अन्य शीर्षक से उप-शीर्षक 2204.10 में परिवर्तन
44	2204.21	किसी भी अन्य शीर्षक से उप-शीर्षक 2204.21 में परिवर्तन
45	2204.29	किसी भी अन्य शीर्षक से उप-शीर्षक 2204.29 में परिवर्तन
46	2204.30	किसी भी अन्य शीर्षक से उप-शीर्षक 2204.30 में परिवर्तन
47	2208.20	किसी भी अन्य शीर्षक से उप-शीर्षक 2208.20 में परिवर्तन
48	2208.70	किसी भी अन्य शीर्षक से उप-शीर्षक 2208.70 में परिवर्तन
49	2710.11	किसी भी अन्य शीर्षक से उप-शीर्षक 2710.11 में परिवर्तन
50	2710.19	किसी भी अन्य शीर्षक से उप-शीर्षक 2710.19 में परिवर्तन
51	2715.00	किसी भी अन्य शीर्षक से उप-शीर्षक 2715.00 में परिवर्तन
52	2836.91	किसी भी अन्य शीर्षक से उप-शीर्षक 2836.91 में परिवर्तन या सभी गैर-उत्पत्ति वाली सामग्रियों या उपयोग की गई अनिर्धारित मूल के कुल मूल्य से, उत्पाद के एफओबी मूल्य 60 प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकता है ।
53	3004.31 - 3004.32	किसी अन्य शीर्षक से 3004.31 के माध्यम से उप-शीर्षक 3004.32 में परिवर्तन
54	3004.39 - 3004.90	किसी अन्य शीर्षक से 3004.39 के माध्यम से उप-शीर्षक 3004.90 में परिवर्तन
55	3005.90	किसी भी अन्य शीर्षक से उप-शीर्षक 3005.90 में परिवर्तन
56	3006.10	किसी भी अन्य शीर्षक से उप-शीर्षक 3006.10 में परिवर्तन
57	3006.40	किसी भी अन्य शीर्षक से उप-शीर्षक 3006.40 में परिवर्तन
58	3006.60	किसी भी अन्य शीर्षक से उप-शीर्षक 3006.60 में परिवर्तन
59	3401.11	किसी भी अन्य शीर्षक से उप-शीर्षक 3401.11 में परिवर्तन
60	3402.11 - 3402.13	किसी अन्य शीर्षक से 3402.11 से 3402.13 के उप-शीर्षक में परिवर्तन
61	3402.19 - 3402.20	किसी अन्य शीर्षक से 3402.19 से 3402.20 के उप-शीर्षक में परिवर्तन
62	3402.90	किसी भी अन्य शीर्षक से उप-शीर्षक 3402.90 में परिवर्तन

सं.	एचएस कोड	उत्पाद विशिष्ट नियम
63	3403.19	किसी भी अन्य शीर्षक से उप-शीर्षक 3403.19 में परिवर्तन
64	3404.90	किसी भी अन्य शीर्षक से उप-शीर्षक 3404.90 में परिवर्तन
65	3406.00	किसी भी अन्य शीर्षक से उप-शीर्षक 3406.00 में परिवर्तन
66	3407.00	किसी भी अन्य शीर्षक से उप-शीर्षक 3407.00 में परिवर्तन
67	4703.11	किसी भी अन्य शीर्षक से उप-शीर्षक 3703.11 में परिवर्तन
68	4703.19	किसी भी अन्य शीर्षक से उप-शीर्षक 3703.19 में परिवर्तन
69	4703.21	किसी भी अन्य शीर्षक से उप-शीर्षक 3703.21 में परिवर्तन
70	4703.29	किसी भी अन्य शीर्षक से उप-शीर्षक 3703.29 में परिवर्तन
71	4707.90	किसी भी अन्य शीर्षक से उप-शीर्षक 3707.90 में परिवर्तन
72	4809.90	किसी भी अन्य शीर्षक से उप-शीर्षक 4809 .90 या सभी गैर-उत्पत्ति वाली सामग्रियों या उपयोग की गई अनिर्धारित मूल के कुल मूल्य में परिवर्तन, उत्पाद के एफओबी मूल्य 60 प्रतिशत से अधिक नहीं है।
73	4810.13	किसी भी अन्य शीर्षक से उप-शीर्षक 4810.13 में परिवर्तन या सभी गैर-उत्पत्ति वाली सामग्रियों या उपयोग की गई अनिर्धारित मूल के कुल मूल्य से उत्पाद के एफओबी मूल्य 60 प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकता है ।
74	4810.19	किसी अन्य शीर्षक से उप-शीर्षक 4810.19 में परिवर्तन या सभी गैर-उत्पत्ति वाली सामग्रियों या उपयोग की गई अनिर्धारित मूल के कुल मूल्य से उत्पाद के एफओबी मूल्य 60 प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकता है ।
75	4810.22	किसी अन्य शीर्षक से उप-शीर्षक 4810.22 में परिवर्तन या सभी गैर-उत्पत्ति वाली सामग्रियों या उपयोग की गई अनिर्धारित मूल के कुल मूल्य से उत्पाद के एफओबी मूल्य 60 प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकता है ।
76	4810.32	किसी भी अन्य शीर्षक से उप-शीर्षक 4810.32 में परिवर्तन या सभी गैर-उत्पत्ति वाली सामग्रियों या उपयोग की गई अनिर्धारित मूल के कुल मूल्य में उत्पाद का एफओबी मूल्य 60 प्रतिशत से अधिक नहीं है ।
77	4810.92	किसी भी अन्य शीर्षक से उप-शीर्षक 4810.92 में परिवर्तन या सभी गैर-उत्पत्ति वाली सामग्रियों या उपयोग की गई अनिर्धारित मूल के कुल मूल्य से उत्पाद के एफओबी मूल्य 60 प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकता है ।
78	4810.99	किसी अन्य शीर्षक से उप-शीर्षक 4810.9 9 में परिवर्तन या सभी गैर-उत्पत्ति वाली सामग्रियों या उपयोग की गई अनिर्धारित मूल के कुल मूल्य से उत्पाद के एफओबी मूल्य 60 प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकता है ।

सं.	एचएस कोड	उत्पाद विशिष्ट नियम
79	4811.41	किसी अन्य शीर्षक से उप-शीर्षक 4811.41 में परिवर्तन या सभी गैर-उत्पत्ति वाली सामग्रियों या उपयोग की गई अनिर्धारित मूल के कुल मूल्य से, उत्पाद के एफओबी मूल्य 60 प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकता है ।
80	4811.59	किसी अन्य शीर्षक से उप-शीर्षक 4811.59 में परिवर्तन या सभी गैर-उत्पत्ति वाली सामग्रियों या उपयोग की गई अनिर्धारित मूल के कुल मूल्य से, उत्पाद के एफओबी मूल्य 60 प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकता है ।
81	4811.90	किसी अन्य शीर्षक से उप-शीर्षक 4811.90 में परिवर्तन या सभी गैर-उत्पत्ति वाली सामग्रियों या उपयोग की गई अनिर्धारित मूल के कुल मूल्य से उत्पाद का एफओबी मान 60 प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकता है ।
82	4814.20	किसी भी अन्य शीर्षक से उप-शीर्षक 4814.20 में परिवर्तन या सभी गैर-उत्पत्ति वाली सामग्रियों या अनिर्धारित मूल स्रोत का कुल मूल्य उत्पाद के एफओबी मूल्य के 60 प्रतिशत से अधिक नहीं है ।
83	4816.20	किसी भी अन्य शीर्षक से उप-शीर्षक 4816.20 में परिवर्तन या सभी गैर-उत्पत्ति वाली सामग्रियों या उपयोग की गई अनिर्धारित मूल के कुल मूल्य से, उत्पाद के एफओबी मूल्य 60 प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकता है ।
84	7607.11	किसी अन्य शीर्षक से उप-शीर्षक 7607.11 में परिवर्तन या सभी गैर-उत्पत्ति वाली सामग्रियों या उपयोग की गई अनिर्धारित मूल के कुल मूल्य से उत्पाद के एफओबी मूल्य 60 प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकता है ।
85	7607.19 - 7607.20	किसी भी अन्य शीर्षक से उत्पन्न उप-शीर्षक 7607.19 से 7607.20 में परिवर्तन या सभी गैर-उत्पत्ति वाली सामग्रियों या अनिर्धारित मूल उत्पत्ति का कुल मूल्य उत्पाद के एफओबी मूल्य 60 प्रतिशत से अधिक नहीं है ।
86	8413.11 - 8413.81	उप-शीर्षक 8413.11 से 8413.81 में किसी अन्य शीर्षक या सभी गैर-उत्पत्ति वाली सामग्रियों या उपयोग की गई अनिर्धारित उत्पत्ति के कुल मूल्य से परिवर्तन उत्पाद के एफओबी मान के 60 प्रतिशत से अधिक नहीं है ।
87	8413.91 - 8413.92	उप-शीर्षक 8413.91 से 8413.92 के माध्यम से किसी अन्य शीर्षक या सभी गैर-उत्पत्ति वाली सामग्रियों या उपयोग की गई अनिर्धारित मूल के कुल मूल्य से उत्पाद का एफओबी मूल्य 60 प्रतिशत से अधिक नहीं है ।
88	8414.10 - 8414.20	किसी अन्य शीर्षक या सभी गैर-उत्पत्ति वाली सामग्री या अनिर्धारित उत्पत्ति के कुल मूल्य से उप-शीर्षक 8414.10 से 8414.20 में परिवर्तन उत्पाद के एफओबी मूल्य के 60 प्रतिशत से अधिक नहीं है ।

सं.	एचएस कोड	उत्पाद विशिष्ट नियम
89	8414.40	किसी अन्य शीर्षक से उप-शीर्षक 8414.40 में परिवर्तन या सभी गैर-उत्पत्ति वाली सामग्रियों या उपयोग की गई अनिर्धारित मूल के कुल मूल्य से उत्पाद का एफओबी मान 60 प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकता है ।
90	8414.59	किसी अन्य शीर्षक से उप-शीर्षक 8414.59 में परिवर्तन या सभी गैर-उत्पत्ति वाली सामग्रियों या उपयोग की गई अनिर्धारित मूल के कुल मूल्य से, उत्पाद के एफओबी मूल्य 60 प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकता है ।
91	8414.80 - 8414.90	8414.90 से 8414.90 के उप-शीर्षक में किसी भी अन्य शीर्षक या सभी गैर-उत्पत्ति वाली सामग्री या उपयोग की गई अनिर्धारित मूल के कुल मूल्य से उत्पाद का एफओबी मूल्य 60 प्रतिशत से अधिक नहीं है।
92	8414.10	किसी अन्य शीर्षक से उप-शीर्षक 8414.10 में परिवर्तन या सभी गैर-उत्पत्ति वाली सामग्रियों या उपयोग की गई अनिर्धारित मूल के कुल मूल्य से, उत्पाद के एफओबी मूल्य 60 प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकता है ।
93	8418.21	किसी भी अन्य शीर्षक से उप-शीर्षक 8418.21 में परिवर्तन या सभी गैर-उत्पत्ति वाली सामग्रियों या उपयोग की गई अनिर्धारित मूल के कुल मूल्य से उत्पाद के एफओबी मूल्य 60 प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकता है ।
94	8418.50	किसी अन्य शीर्षक से उप-शीर्षक 8418.50 में परिवर्तन या सभी गैर-उत्पत्ति वाली सामग्रियों या उपयोग की गई अनिर्धारित मूल के कुल मूल्य से, उत्पाद के एफओबी मूल्य 60 प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकता है ।
95	8418.69	किसी भी अन्य शीर्षक से उप-शीर्षक 8418.69 में परिवर्तन या सभी गैर-उत्पत्ति वाली सामग्रियों या उपयोग की गई अनिर्धारित मूल के कुल मूल्य से उत्पाद का एफओबी मूल्य 60 प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकता है ।
96	8418.99	किसी भी अन्य शीर्षक से उप-शीर्षक 8418.99 में परिवर्तन या सभी गैर-उत्पत्ति वाली सामग्रियों या अनिर्धारित मूल उत्पत्ति के कुल मूल्य में उत्पाद का एफओबी मूल्य 60 प्रतिशत से अधिक नहीं है ।
97	8419.11	किसी भी अन्य शीर्षक से उप-शीर्षक 8419.11 में परिवर्तन या सभी गैर-उत्पत्ति वाली सामग्रियों या उपयोग की गई अनिर्धारित मूल के कुल मूल्य से उत्पाद के एफओबी मूल्य 60 प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकता है ।
98	8419.32 - 8419.50	उप-शीर्षक 8419.32 से 8419.50 के माध्यम से किसी अन्य शीर्षक या सभी गैर-उत्पत्ति वाली सामग्रियों या उपयोग की गई अनिर्धारित मूल के कुल मूल्य से उत्पाद का एफओबी मूल्य 60 प्रतिशत से अधिक नहीं है ।

सं.	एचएस कोड	उत्पाद विशिष्ट नियम
99	8419.89 - 8419.90	उप-शीर्षक 8419.89 से 8419.90 के माध्यम से किसी अन्य शीर्षक या सभी गैर-उत्पत्ति वाली सामग्रियों या उपयोग की गई अनिर्धारित मूल के कुल मूल्य से उत्पाद का एफओबी मूल्य 60 प्रतिशत से अधिक नहीं है ।
100	8421.12 - 8421.21	उप-शीर्षक 8421.12 से 8421.21 के माध्यम से किसी अन्य शीर्षक या सभी गैर-उत्पत्ति वाली सामग्रियों या उपयोग की गई अनिर्धारित मूल के कुल मूल्य से उत्पाद का एफओबी मूल्य 60 प्रतिशत से अधिक नहीं है ।
101	8421.23 - 8421.99	8421.23 से 8421.99 के उप-शीर्षक में किसी भी अन्य शीर्षक या सभी गैर-उत्पत्ति वाली सामग्री या उपयोग की गई अनिर्धारित मूल के कुल मूल्य से उत्पाद का एफओबी मूल्य 60 प्रतिशत से अधिक नहीं है।
102	8431.20	किसी भी अन्य शीर्षक से उप-शीर्षक 8431.20 में परिवर्तन या सभी गैर-प्रारंभिक सामग्रियों या निर्धारित अनिर्दिष्ट मूल के कुल मूल्य से उत्पाद के एफओबी मूल्य 60 प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकता है ।
103	8431.39 - 8431.41	8431.39 से 8431.41 के उप-शीर्षक में किसी भी अन्य शीर्षक से या सभी गैर-उत्पत्ति वाली सामग्री या उपयोग की गई अनिर्धारित मूल के कुल मूल्य से उत्पाद का एफओबी मूल्य 60 प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकता है ।
104	8431.43 - 8431.49	8431.43 से 8431.49 के उप-शीर्षक में किसी भी अन्य शीर्षक से या सभी गैर-उत्पत्ति वाली सामग्री या उपयोग की गई अनिर्धारित मूल के कुल मूल्य से उत्पाद का एफओबी मूल्य 60 प्रतिशत से अधिक नहीं है ।
105	8450.11	किसी अन्य शीर्षक से उप-शीर्षक 8450.11 में परिवर्तन या सभी गैर-उत्पत्ति वाली सामग्रियों या उपयोग की गई अनिर्धारित मूल के कुल मूल्य से उत्पाद के एफओबी मूल्य 60 प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकता है ।
106	8450.90	किसी भी अन्य शीर्षक से उप-शीर्षक 8450.90 में परिवर्तन या सभी गैर-उत्पत्ति वाली सामग्रियों या उपयोग की गई अनिर्धारित मूल के कुल मूल्य से उत्पाद के एफओबी मूल्य 60 प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकता है ।
107	8474.10 - 8474.20	8474.10 से 8474.20 के उप-शीर्षक में किसी भी अन्य शीर्षक से या सभी गैर-उत्पत्ति वाली सामग्री या उपयोग की गई अनिर्धारित मूल के कुल मूल्य से उत्पाद का एफओबी मूल्य 60 प्रतिशत से अधिक नहीं है ।
108	8474.80 - 8474.90	8474.80 से 8474.90 के बीच उप-शीर्षक में किसी भी अन्य शीर्षक से या सभी गैर-उत्पत्ति वाली सामग्रियों या उपयोग किए गए अनिर्धारित मूल के कुल मूल्य से उत्पाद का एफओबी मूल्य 60 प्रतिशत से अधिक नहीं है ।

सं.	एचएस कोड	उत्पाद विशिष्ट नियम
109	8481.10 - 8481.90	8481.10 से 8481.90 के उप-शीर्षक में किसी भी अन्य शीर्षक या सभी गैर-उत्पत्ति वाली सामग्रियों या उपयोग की गई अनिर्धारित मूल के कुल मूल्य से उत्पाद का एफओबी मूल्य 60 प्रतिशत से अधिक नहीं है ।
110	8504.10 - 8504.21	किसी अन्य शीर्षक या सभी गैर-उत्पत्ति वाली सामग्री या अनिर्धारित उत्पत्ति के कुल मूल्य से 8504.10 से 8504.21 के उप-शीर्षक में परिवर्तन उत्पाद के एफओबी मान के 60 प्रतिशत से अधिक नहीं है ।
111	8504.23 - 8504.90	8504.23 के माध्यम से उप-शीर्षक 8504.90 में किसी भी अन्य शीर्षक से या सभी गैर-उत्पत्ति वाली सामग्रियों या उपयोग की गई अनिर्धारित मूल के कुल मूल्य से उत्पाद का एफओबी मान 60 प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकता है ।
112	8509.80	किसी अन्य शीर्षक से उप-शीर्षक 8509.80 में परिवर्तन या सभी गैर-उत्पत्ति वाली सामग्रियों या उपयोग की गई अनिर्धारित मूल के कुल मूल्य से, उत्पाद के एफओबी मूल्य 60 प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकता है ।
113	8523.29	किसी भी अन्य शीर्षक से उप-शीर्षक 8523.29 में परिवर्तन या सभी गैर-उत्पत्ति वाली सामग्रियों या अनिर्धारित मूल उत्पत्ति के कुल मूल्य से उत्पाद के एफओबी मूल्य 60 प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकता है ।
114	8523.40	किसी भी अन्य शीर्षक से उप-शीर्षक 8523.41 में परिवर्तन या सभी गैर-उत्पत्ति वाली सामग्रियों या उपयोग की गई अनिर्धारित मूल के कुल मूल्य से उत्पाद के एफओबी मूल्य 60 प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकता है ।
115	8523.51 - 8523.80	उप-शीर्षक 8523.51 से 8523.80 में किसी अन्य शीर्षक से या सभी गैर-उत्पत्ति वाली सामग्रियों या उपयोग की गई अनिर्धारित मूल के कुल मूल्य से उत्पाद का एफओबी मूल्य 60 प्रतिशत से अधिक नहीं है ।
116	8525.80	किसी भी अन्य शीर्षक से उप-शीर्षक 8525.80 में परिवर्तन या सभी गैर-उत्पत्ति वाली सामग्रियों या उपयोग की गई अनिर्धारित मूल के कुल मूल्य से उत्पाद के एफओबी मूल्य 60 प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकता है ।
117	8535.10 - 8535.21	उप-शीर्षक 8535.10 से 8535.21 में किसी अन्य शीर्षक या सभी गैर-उत्पत्ति वाली सामग्रियों या उपयोग की गई अनिश्चित उत्पत्ति के कुल मूल्य से परिवर्तन, उत्पाद के एफओबी मूल्य 60 प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकता है ।
118	8535.30 - 8535.90	8535.30 से 8535.90 के माध्यम से उप-शीर्षक में किसी भी अन्य शीर्षक या सभी गैर-उत्पत्ति वाली सामग्रियों या उपयोग की गई अनिर्धारित मूल के कुल मूल्य से उत्पाद का एफओबी मूल्य 60 प्रतिशत

सं.	एचएस कोड	उत्पाद विशिष्ट नियम
		से अधिक नहीं है ।
119	8536.10-8536.20	उप-शीर्षक 8535.10 से 8536.20 में किसी भी अन्य शीर्षक या सभी गैर-उत्पत्ति वाली सामग्री या उपयोग की गई अनिश्चित उत्पत्ति के कुल मूल्य से परिवर्तन उत्पाद के एफओबी मान के 60 प्रतिशत से अधिक नहीं है ।
120	8536.41 - 8536.50	उप-शीर्षक 8536.41 से 8536.50 में किसी भी अन्य शीर्षक से या सभी गैर-उत्पत्ति वाली सामग्रियों या उपयोग की गई अनिर्धारित मूल के कुल मूल्य में परिवर्तन, उत्पाद के एफओबी मूल्य 60 प्रतिशत से अधिक नहीं है ।
121	8536.69	किसी भी अन्य शीर्षक से उप-शीर्षक 8536.69 में परिवर्तन या सभी गैर-उत्पत्ति वाली सामग्रियों या उपयोग की गई अनिर्धारित मूल के कुल मूल्य से उत्पाद के एफओबी मूल्य का 60 प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकता है ।
122	8536.90	किसी भी अन्य शीर्षक से उप-शीर्षक 8536.90 में परिवर्तन या सभी गैर-उत्पत्ति वाली सामग्रियों या उपयोग की गई अनिर्धारित मूल के कुल मूल्य से उत्पाद के एफओबी मूल्य 60 प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकता है ।
123	8537.10 - 8537.20	उप-शीर्षक 8537.10 से 8537.20 में किसी भी अन्य शीर्षक से या सभी गैर-उत्पत्ति वाली सामग्रियों या उपयोग की गई अनिर्धारित मूल के कुल मूल्य से परिवर्तन उत्पाद के एफओबी मान के 60 प्रतिशत से अधिक नहीं है ।
124	8544.11 - 8544.70	उप-शीर्षक 8544.11 से 8544.70 में किसी अन्य शीर्षक से या सभी गैर-उत्पत्ति वाली सामग्रियों या उपयोग की गई अनिर्धारित मूल के कुल मूल्य से उत्पाद का एफओबी मूल्य 60 प्रतिशत से अधिक नहीं है ।
125	9018.11 - 9018.12	किसी भी अन्य शीर्षक से उप-शीर्षक 9018.11 से 9018.12 में परिवर्तन या सभी गैर-उत्पत्ति वाली सामग्रियों या उपयोग की गई अनिर्धारित मूल के कुल मूल्य से, उत्पाद के एफओबी मूल्य का 60 प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकता है ।
126	9018.19	किसी अन्य शीर्षक से उप-शीर्षक 9018.19 में परिवर्तन या सभी गैर-उत्पत्ति वाली सामग्रियों या उपयोग की गई अनिर्धारित मूल के कुल मूल्य से उत्पाद के एफओबी मूल्य 60 प्रतिशत से अधिक नहीं है ।

सं.	एचएस कोड	उत्पाद विशिष्ट नियम
127	9018.32 - 9018.39	9018.32 के माध्यम से उप-शीर्षक 9018.39 के माध्यम से किसी अन्य शीर्षक से या सभी गैर-उत्पत्ति वाली सामग्री या अनिर्धारित मूल स्रोतों के कुल मूल्य से उत्पाद का एफओबी मूल्य 60 प्रतिशत से अधिक नहीं है ।
128	9018.49 - 9018.90	9018.49 से 9018.90 के बीच किसी भी अन्य शीर्षक या सभी गैर-उत्पत्ति वाली सामग्रियों या उपयोग की गई अनिर्धारित मूल के कुल मूल्य से उप-शीर्षक में परिवर्तन उत्पाद के एफओबी मूल्य 60 प्रतिशत से अधिक नहीं है ।
129	9026.10 - 9026.90	किसी भी अन्य शीर्षक से या सभी गैर-उत्पत्ति वाली सामग्री या अनिर्धारित उत्पत्ति के कुल मूल्य से 9026.10 से 9026.90 के बीच उप-शीर्षक में परिवर्तन उत्पाद के एफओबी मूल्य 60 प्रतिशत से अधिक नहीं है ।
130	9401.61 - 9401.90	किसी अन्य शीर्षक से उप-शीर्षक 9401.61 से 9401.90 में परिवर्तन या सभी गैर-उत्पत्ति वाली सामग्रियों या उपयोग की गई अनिर्धारित मूल के कुल मूल्य से उत्पाद के एफओबी मूल्य 60 प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकता है ।
131	9403.20	किसी भी अन्य शीर्षक से उप-शीर्षक 9403.20 में परिवर्तन या सभी गैर-उत्पत्ति वाली सामग्रियों या उपयोग की गई अनिर्धारित मूल के कुल मूल्य से उत्पाद के एफओबी मूल्य 60 प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकता है ।
132	9403.50 - 9403.60	किसी भी अन्य शीर्षक से उप-शीर्षक 9403.50 से 9403.60 में परिवर्तन या सभी गैर-उत्पत्ति वाली सामग्रियों या उपयोग की गई अनिर्धारित मूल के कुल मूल्य से उत्पाद के एफओबी मूल्य 60 प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकता है ।
133	9403.89	किसी भी अन्य शीर्षक से उप-शीर्षक 9403.8 9 में परिवर्तन या सभी गैर-उत्पत्ति वाली सामग्रियों या उपयोग की गई अनिर्धारित मूल के कुल मूल्य से उत्पाद के एफओबी मूल्य 60 प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकता है ।
134	9403.90	किसी भी अन्य शीर्षक से उप-शीर्षक 9403.90 में परिवर्तन या सभी गैर-उत्पत्ति वाली सामग्रियों या उपयोग की गई अनिर्धारित मूल के कुल मूल्य से उत्पाद के एफओबी मूल्य 60 प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकता है ।
135	9404.29	किसी भी अन्य शीर्षक से उप-शीर्षक 9404.2 9 में परिवर्तन या सभी गैर-उत्पत्ति वाली सामग्रियों या निरूपित मूल उत्पत्ति के कुल मूल्य से उत्पाद के एफओबी मूल्य 60 प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकता है ।

सं.	एचएस कोड	उत्पाद विशिष्ट नियम
136	9404.90	किसी भी अन्य शीर्षक से उप-शीर्षक 9404.90 में परिवर्तन या सभी गैर-उत्पत्ति वाली सामग्रियों या उपयोग की गई अनिर्धारित मूल के कुल मूल्य से उत्पाद के एफओबी मूल्य 60 प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकता है ।
137	9405.10 - 9405.50	किसी भी अन्य शीर्ष या सभी गैर-उत्पत्ति वाली सामग्री या अनिर्धारित उत्पत्ति के कुल मूल्य से उप-शीर्षक 9405.10 से 9405.50 में परिवर्तन उत्पाद के एफओबी मूल्य 60 प्रतिशत से अधिक नहीं है ।
138	9405.91 - 9405.99	किसी अन्य शीर्षक से उप-शीर्षक 9405.91 से 9405.99 में परिवर्तन या सभी गैर-उत्पत्ति वाली सामग्रियों या उपयोग की गई अनिर्धारित मूल के कुल मूल्य से उत्पाद के एफओबी मूल्य 60 प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकता है ।
139	9406.00	किसी भी अन्य शीर्षक से उप-शीर्षक 9406.00 में परिवर्तन या सभी गैर-उत्पत्ति वाली सामग्रियों या उपयोग की गई अनिर्धारित मूल के कुल मूल्य से उत्पाद का एफओबी मान 60 प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकता है ।
140	9503.00	किसी अन्य शीर्षक से उप-शीर्षक 9503.00 में परिवर्तन या सभी गैर-उत्पत्ति वाली सामग्रियों या उपयोग की गई अनिर्धारित मूल के कुल मूल्य से उत्पाद का एफओबी मूल्य 60 प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकता है ।
141	9505.10	किसी अन्य शीर्षक से उप-शीर्षक 9505.10 में परिवर्तन या सभी गैर-उत्पत्ति वाली सामग्रियों या उपयोग की गई अनिर्धारित मूल के कुल मूल्य से उत्पाद का एफओबी मान 60 प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकता है ।
142	9506.62 - 9506.69	किसी भी अन्य शीर्षक से उप-शीर्षक 9506.62 से 9506.69 में परिवर्तन या सभी गैर-उत्पत्ति वाली सामग्रियों या उपयोग की गई अनिर्धारित मूल के कुल मूल्य से उत्पाद के एफओबी मूल्य 60 प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकता है ।
143	9506.91	किसी भी अन्य शीर्षक से उप-शीर्षक 9506.91 में परिवर्तन या सभी गैर-उत्पत्ति वाली सामग्रियों या उपयोग की गई अनिर्धारित उत्पत्ति के कुल मूल्य में उत्पाद का एफओबी मूल्य 60 प्रतिशत से अधिक नहीं है ।
144	9506.99	किसी भी अन्य शीर्षक से उप-शीर्षक 9506.99 में परिवर्तन या सभी गैर-उत्पत्ति वाली सामग्रियों या उपयोग की गई अनिर्धारित मूल के कुल मूल्य में उत्पाद का एफओबी मूल्य 60 प्रतिशत से अधिक नहीं है।
145	9620.00	8431 शीर्ष के सिवाय, 9620.00 उपशीर्ष में किसी भी अन्य शीर्ष से परिवर्तन अथवा प्रयोग की गई गैर मूलत: उत्पादित सामग्री अथवा ऐसी वस्तुएं जिनके मूल उत्पादन का विनिश्चय नहीं हुआ हो, का कुल मूल्य,

सं.	एचएस कोड	उत्पाद विशिष्ट नियम
		लिफ्ट, स्किप, हायस्ट या एस्क्लेटर जो कि मोनोपोड, बाईपॉड, ट्राईपॉड और ऐसी ही मदों को छोड़कर शीर्ष 8424 के संयंत्र के कलपुर्जों के उत्पाद का एफओबी मूल्य 60 प्रतिशत से अधिक नहीं है।"।

[फा. सं. **528/15003/2009-**सीमाशुल्क/आईसीडी]

(**सत्यजीत मोहन्ती**)

निदेशक, भारत सरकार

टिप्पणी: अधिसूचना सं. 84/2007- सीमा शुल्क (गै.टे.), दिनांक 17 अगस्त, 2007 को संख्या का.आ. 1426 (अ), दिनांक 17 अगस्त, 2007 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित किया गया था ।